राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 637/2025

विजय सिंह घासल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
3. राजकमल जलधरिया, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर मुख्यालय जोरपुरा जोबनेर, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) जोबनेर, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय जोरपुरा, जोबनेर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जोबनेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्यालय ओगाला, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), बाडमेर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि वह वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर दिनांक 22.01.2024 को पदोन्नत हुआ था और आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण मेडता सिटी किया गया, जिसे अधिकरण द्वारा अपील संख्या 632/2024 में स्थगन आदेश दिनांक 01.03.2024 को जारी किया गया। अपील

लम्बित होने के बावजूद मात्र 11 माह की अल्पावधि में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 632/2024 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.03.2024 में विभाग को नये सिरे से नियमानुसार अपीलार्थी का स्थानांतरण करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जिसके उपरांत विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई नियम विरूद्धता होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष